जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/tpf/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 5 फरवरी 2024

कॉँग्रेस सरकार के करतूतों की खुल रही पोल!!

जिस एसएचओ को रिश्वतखोरी के मामले मे ACB की कार्यवाही के चलते निलंबित किया था उसे फिर मलाईदार पोस्ट पर लगाया!!

आखिर किसने क्लब-बारो,शराब की दुकानों,होटलों,स्पा सेंटरों, जेबकतरों से लाखों रुपयों बंधी लेने के लिए बदनाम सदर थाने जैसे मलाईदार थाने मे करवाई थी राजेन्द्र सिंह की बदली?

क्या सुशासन का दावा करने वाली भजनलाल सरकार करेगी प्रदेश मे फील्ड पोस्टिंग पर तैनात भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही?

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

काँग्रेस सरकार के करतूतों की खुल रही पोल!!जिस एसएचओ को रिश्वतखोरी के मामले मे ACB की कार्यवाही के चलते निलंबित किया था उसे फिर मलाईदार पोस्ट पर लगाया!!

पत्रों का ग्राम सेवक, फार्मासिस्ट सहित अन्य
के बाद भर्तियों में बड़ी संख्या में फर्जी की है।

#policecorruption अवैध यातायात संचालन और बजरी वाहनों से बंधी लेने का मामला

थाने में सीएम से भी छिपाई जानकारी, थानाधिकारी बंधी मामले में आरोपी

05/02 MP

एसएचओ फरार, क्वार्टर से गांजा और अवैध हथियार मिले

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर।

कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज की तो एसीबी ने मांगे वॉयस सैम्पल, क्वार्टर से मिले थे हथियार और गांजा

पत्रिका ओम प्रकाश शर्मा
patrika.com

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल सदर थाने का निरीक्षण कर लौट गए, लेकिन वहां के थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की भनक किसी को नहीं लगी। अवैध यातायात संचालन और बजरी वाहनों से बंधी लेने के मामले में थानाधिकारी के खिलाफ एसीबी जांच चल रही है। पड़ताल के लिए एसीबी ने दिसंबर में अदालत में अर्जी पेश कर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह की आवाज के नमूने भी मांगे हैं।

एसीबी की इस पड़ताल की खबर न सरकार को लगी न ही कमिश्नरेट के उच्चाधिकारियों को। दरअसल, वर्तमान सदर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत वर्ष 2021 में भट्टा बस्ती थाने में तैनात था। उस दौरान एक पिकअप चालक से थाने का हेड कांस्टेबल बंधी मांग रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ को 15 हजार रुपए बंधी लेते पकड़ा था। एसीबी ने उस समय कहा था कि रऊफ एसएचओ राजेन्द्र सिंह के नाम से यह बंधी ले रहा था। कार्रवाई की भनक लगने पर थाने से एसएचओ भाग गया। बाद में उसके क्वार्टर से एक कट्टा, 11 कारतूस, 5 कटार और 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।

थाने का निरीक्षण करते सीएम और मौजूद थानाधिकारी। फाइल फोटो

थानाधिकारी के पक्ष में पेश की रिपोर्ट

हेड कांस्टेबल को ट्रैप करने के बाद एसीबी ने राजेन्द्र सिंह की तलाश शुरू की। वहीं, अवैध हथियार और मादक पदार्थ के मामले में भट्टा बस्ती थाने में ही मामला दर्ज किया गया। हालांकि कुछ समय बाद हालात बदल गए। पहले भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में एफआर लगाई। फिर एसीबी ने हेड कांस्टेबल रऊफ के खिलाफ चालान पेश करने के बाद राजेन्द्र सिंह के पक्ष में गुपचुप क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी।

लंबे समय तक रहा भूमिगत

क्लोजर रिपोर्ट पेश होते ही लम्बे समय से भूमिगत रहे राजेन्द्र सिंह ने कमिश्नरेट में ही सदर थानाधिकारी की पोस्ट पा ली। इस बीच भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि राजेन्द्र सिंह भट्टा बस्ती थानाधिकारी था, जिसका कर्तव्य था कि थाना क्षेत्र में अवैध यातायात गतिविधि व बजरी संचालन पर रोक लगाए। बावजूद इसके हेड कांस्टेबल के माध्यम से अवैध वाहन संचालन के बदले बीस हजार रुपए की रिश्वत लेने का दबाव बनाया गया। कोर्ट ने इस मामले में एसीबी को आदेश में उल्लेखित तथ्यों को समायोजित करते हुए इन पर गहनता व सूक्ष्मता से विस्तृत अनुसंधान कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके बाद एसीबी ने अदालत में अर्जी पेश कर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह की आवाज के नमूनों की जरूरत बताई है।

आपको याद होगा कि तीन साल पहले जयपुर कमिश्नरेट में ACB द्वारा एक हेडकांस्टेबल के 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भट्टा बस्ती SHO राजेंद्र सिंह शेखावत को पिछले गेट से बचकर भागना पड़ा था,वह अपनी गिरफ़्तारी के डर से कई दिनों तक फरार रहे|कार्यवाही के दौरान उनके सरकारी क्वार्टर में अवैध हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद हुए थे|पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थ रखने के मामले में भट्टा बस्ती थानाप्रभारी राजेंद्र सिंह शेखावत को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी परिस देखमुख ने निलंबन आदेश जारी करने की कार्रवाई की थी।

इसके अलावा इलाके में रिश्वत में मंथली बंधी वसूलने के मामले में भी भूमिका सामने आने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) भी पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की तलाश कर रही थी| भट्टा बस्ती के पहले वह शहर के सदर और बगरू थाने में SHO रहे थे। वहां शिकायतें होने पर हटाया गया। इसके बाद फिर से राजनीतिक रसूखात की वजह से वह भट्टा बस्ती थाने में SHO लग गए।

थानाप्रभारी के कहने पर मंथली वसूल कर रहा था हेडकांस्टेबल,एसीबी को तलाशी में मिले थे अवैध हथियार और मादक पदार्थ

आपको बता दें कि एसीबी ने हेडकांस्टेबल अब्दुल रऊफ को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तब पूछताछ में रऊफ ने थानाप्रभारी राजेंद्र सिंह के कहने पर रिश्वत लेने की बात कही थी। वे एक भवन निर्माण सामग्री के कारोबारी से 20 हजार रुपए मासिक बंधी वसूल रहे थे।हेडकांस्टेबल के ट्रेप होने की भनक लगते ही थानाप्रभारी पिछले रास्ते से होकर थाने से भाग निकले। ऐसे में उनकी भूमिका और संदिग्ध हो गई। इसके बाद एसीबी टीम ने तलाशी ली। तब SHO राजेंद्र सिंह के सरकारी क्वार्टर से पांच अवैध कटार, एक देशी कट्टा व 11 जिंदा कारतूस, दो मास्टर KEE और करीब डेढ़ किलो गांजा मिला। तब थानाप्रभारी राजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उनके ही थाने में NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

आखिर किसने क्लबो-बारो,शराब की दुकानों,होटलों,स्पा सेंटरों,जेबकतरों से लाखों रुपयों बंधी लेने के लिए बदनाम सदर थाने जैसे मलाईदार थाने मे करवाई थी राजेन्द्र सिंह की बदली?

आपको बता दें कि जयपुर शहर का सदर थाना जयपुर कमिशनरेट के सबसे मलाईदार थानों मे से एक है|रेल्वे-स्टेशन,पोलो विक्ट्री,कलेक्ट्रेट जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल सदर थाना क्षेत्र मे आते है,जिसके चलते सैंकड़ों होटल,रेस्टोरेंट,शराब की दुकानो,क्लब,बार आदि से हर महीने लाखों रुपयों की मंथली वसूली जाती है|ऐसे मे इस बदनाम थाने मे पहले से ही ACB के राडार पर आ चुके राजेन्द्र सिंह की तैनातगी,मुख्यमंत्री भजनलाल के पिछले महीने किए गए औचक निरीक्षण के बाद फिर चर्चा मे आ गई है|आपको बता दें कि सदर थाने मे ही उनकी यह दूसरी बार तैनातगी रही है इससे पहले वह 2020 मे इस थाने की शोभा बढ़ा चुके है|सूत्रों की माने तो सदर थाना क्षेत्र मे ही रहने वाले गत कॉंग्रेस सरकार के एक मंत्री की शह पर ही उनको लगातार शिकायतों के बावजूद मलाईदार पोस्टे दी जाती रही थी|

Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- **पुलिस थाना भट्टाबस्ती, आयुक्तालय जयपुर शहर उत्तर के हैड कानिस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **थानाधिकारी के सरकारी आवास से अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ बरामद**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज सोमवार को जयपुर के पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर में कार्यवाही करते हुये हैड कानि. अब्दुल रउफ को परिवादी से मासिक बन्दी के रूप में 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी भट्टाबस्ती राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक के सरकारी आवास से अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ बरामद किये गये है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगी पीक–अप के परिचालन में बाधा नहीं पहुंचाने की एवज में पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जयपुर शहर उत्तर हैड कानिस्टेबल अब्दुल रउफ खान द्वारा थानाधिकारी, भट्टा बस्ती के नाम पर 20 हजार रूपये मासिक बन्दी के रूप में रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अब्दुल रउफ पुत्र श्री इस्माईल अली निवासी मौहल्ला सादात, मालपुरा जिला टोंक हाल निवासी मकान नं0 ए–37, अर्जुन कॉलोनी, आमेर रोड़, ब्रहमपुरी, जयपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी पुलिस थाना भट्टाबस्ती राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक की भूमिका पाई जाने पर थाना परिसर स्थित उनके सरकारी आवास की तलाशी ए.सी.बी. की टीम द्वारा लिये जाने पर वहां से एक देशी कट्टा 315 बोर, 9 कारतूस 315 बोर, दो कारतूस 7.62 एम.एम., 5 कटार तथा एक किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। ए.सी.बी. कार्यवाही के दौरान थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत पुलिस निरीक्षक ए.सी.बी. टीम को गच्चा देकर पिछले दरवाजे से मौके से फरार हो गये हैं, जिनकी तलाश जारी है। **ए.सी.बी. टीम द्वारा अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थ बरामद होने पर थानाधिकारी के विरूद्ध पृथक् से अभियोग दर्ज कराया गया है।**

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

क्या सुशासन का दावा करने वाली भजनलाल सरकार करेगी प्रदेश मे फील्ड पोस्टिंग पर तैनात भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही?

देखना यह है कि सुशासन का दावा कर,सत्ता मे आई भाजपा सरकार,राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है?साथ ही साथ भ्रष्ट आचरण के लिए बदनाम अन्य पुलिस अधिकारियों को भी क्या बाहर का रास्ता दिखा पाती है या फिर इन जैसे लोग फिर से अपने नए राजनैतिक आकाओ का सहारा लेकर,मलाईदार पोस्टों पर काबिज रहने मे सफल हो पाते है?